ग्राम पंचायत सिल्ह, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिल्ह , विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमती निशि पन्त	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमती सुमन कुमार	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री विनोद कुमार	1-4-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सिल्ह के लेखाओं अवधि 01.04.1 4 से 31.03.1 7 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि(₹लाखों में)**
1.	8	अनुदान का उपयोग न करना	**13.20**
2.	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	**0.76**
3.	10	IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय राशि बारे	**1.50**
4.	12	मूल्याँकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	**0.70**

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सिल्ह, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री

जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-9-2017 से 14-9-2017 तक ग्राम पंचायत सिल्ह में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-1 5	3/2015	10/2014
2015-16	3/2016	6/2015
2016-17	2/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सिल्ह, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226 /2017 दिनांक 14 -9-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सिल्ह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत सिल्ह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	209107.63	97217	306324.63	27343	278981.63
2015-16	278981.63	54707	333688.63	22152	311536.63
2016-17	311536.63	123572	435108.63	126662	308446.63

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत सिल्ह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-**

1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	582107	2590051	3172158	2018498	1153660
2015-16	1153660	1432688	2586348	1880176	706172
2016-17	706172	2512284	3218456	1897964	1320492

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 308446.63

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1320492

योग ₹1628938.63

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा राशि व हस्तगत राशि का विवरण:-

क्र. सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	HGB Bharoli	8809010 0049007	52801
2	HGB Bharoli	880901 00049061	11566.28
3	HGB Bharoli	88901 00049043	239150
4	HGB Bharoli	880901 00049089	246910
5	HGB Bharoli	880901 00019787	87329
6	HGB Bharoli	880901 00049052	74254
7	HGB Bharoli	880901 00049034	378
8	HGB Bharoli	880901 00049016	75094
9	HGB Bharoli	880901 00054258	497713
10	HGB Bharoli	880901 00054249	7593
11	HGB Bharoli	880901 00054230	30401
12	HGB Bharoli	880901 00048099	67253
13	HGB Bharoli	880901 00048080	84819
14	KCCB Dehra	20008005819	141493
1	Food coupan		11121
2	Cash in hand	(1043.82 +18+1.53)	1063.35
	Total		**₹1628938.63**

5 **वितीय स्थिती के अंत शेष में दर्शाई गयी Food coupen के रूप में ₹0.11 लाख के बारे ;-**

ग्राम पंचायत सिल्ह द्वारा ₹11121 के FOODCOUPEN जो कि मजदूरों को काम के बदले अनाज के रूप में मजदूरी अदा की जानी थी के लिए प्राप्त किये गये तथा इन कूपनों को रोकड़ बही में आय पक्ष में दर्ज किया गया तथा इसकी रसीद जारी की गयी। मास 4/2014 को

ग्राम पंचायत द्वारा इसे रोकड़ वही के आरम्भिक शेष में दर्शाया गया है। अब जबकि यह योजना सरकार द्वारा काफी समय पूर्व बंद कर दी गयी है और न ही ग्राम पंचायत को इन कूपनों के बदले में अनाज मिलने की कोई सम्भावना है तो इन कूपनों को रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः इन कूपनों को सरकार को वापिस किया जाए ।

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव सिल्ह **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹1360 वसूली हेतु शेष थी ।

गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष**
2014-15	50	13770	13820	13820	0
2015-16	0	19720	19720	0	19720
2016-17	19720	19720	39440	38080	1360

(2). हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **अनुदान ₹13.20 लाख का उपयोग न करना ;-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1320492 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि

को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 **प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.76 लाख का अधिक व्यय**

सचिव ग्राम पंचायत सिल्ह **द्वारा** उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिति के अनुसार VKVNY में दिनांक 31-03-2017 को ₹75683 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन VKVNY में अथवा किसी अन्य योजना से VKVNY का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

10 **IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय ₹1.50 लाख के भुगतान बारे :---**

ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार ₹**150000** भुगतान की गयी जिसे उनके साथ किये गये अनुबंध के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से 18 मास मे वापिस लिया जाना है। अत: यह राशि निश्चित समयावधि में वापिस लेनी सुनिश्चित की जाए ।

वाउचर संख्या	मास	स्वयं सहायता समूह का नाम	राशि
1	5/2016	ओम साईं	25000
2	5/2016	जय माँ लक्ष्मी	25000
8	3/2017	साईं	25000
9	3/2017	लक्ष्मी नारायण	25000
10	3/2017	गगन	25000
11	3/2017	माँ भगवती	25000
		योग	**₹150000**

11 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत

द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹0.70 लाख भुगतान:-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की **मूल्यांकन** (assessment) के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा** ₹69510 का भुगतान **मूल्यांकन** (assessment) के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए **मूल्यांकन** (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए ।

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
IWMP iv			
1	6/2015	निर्माण फलदार पौधों की बाढ़बंदी	8436
1/4	6/2015	निर्माण फलदार पौधों की बाढ़बंदी	4065
12	3/2017	निर्माण RRWH टैंक राम चंद की जमीन में	18904
5/2	3/2017	**निर्माण RRWH टैंक शक्ति चंद की जमीन में**	7775
PMKSY			
9	3/2017	**निर्माण RRWH टैंक टेक चंद की जमीन में**	13470
MNREGA			
20	3/2017	**निर्माण RRWH टैंक योगराज की जमीन में**	16860
		योग	**₹69510**

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है|

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)138/2017 खण्ड–1–1715–1718 दिनांक 07.03.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सिल्ह, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881